प्रकरण संख्या /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.2.24	पत्रावली वास्ते जवाब हेतु पेश हुई। अभियुक्त एवं अधि० जवाब हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] छुट्टी गयी वास्ते नकल पत्रावली 21/3/2024 को पेश हो।	[illegible] 29/2/2024 [illegible]
21/3/2024	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। P.O. साहब का स्थानान्तरण हो जाने से आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2/5/2024 को पेश हो।	
2.5.2024	पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी गिर्राज अग्रवाल उपस्थित।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) पनीर का विकय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर	[illegible]

प्रकरण संख्या /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2024	लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी गिर्राज अग्रवाल पुत्र श्री रामजीलाल अग्रवाल, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स– श्री राम मावा भण्डार, नगर पालिका के सामने बाजार नंबर 3, रामगंजमडी, निवसी–सुलेख नगर, रामगंजमडी, सुकेत रोड, कोटा पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **संदीप अग्रवाल** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अति. जिला कलक्टर कोटा	Deposit vide R No. 0969 77/068 Dated 22.08.24 Rs 5000/- केशियर कार्यालय कलेक्टर कोटा